भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1567
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना
1567. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, विशेष रूप से जनजातीय और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) पिछले तीन वर्षों में तेलंगाना में मोटे अनाज की खेती और उत्पादन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) इस उद्देश्य के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;
(घ) राज्य में मोटे अनाज के लिए केंद्रीय सहायता या आदान राजसहायता से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितनी है;
(ङ) मोटे अनाज की उपज के लिए बाजार संपर्क बनाने और मूल्यवर्धित मोटे अनाज उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और
(च) क्या तेलंगाना में केंद्रीय सहायता से मोटे अनाज के लिए कोई प्रसंस्करण या विपणन बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में मिलेट्स (श्रीअन्न) के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के तहत पोषक अनाज (मिलेट्स) उप-मिशन कार्यान्वित कर रहा है। एन.एफ.एस.एन.एम.- पोषक अनाज के तहत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों तथा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों पर, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन उपायों के लिए, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण के लिए, कार्यक्रमों/कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है तथा नई रिलीज़ की गईं किस्मों/हाइब्रिड्स के सीड मिनीकिट का वितरण भी राज्यों के माध्यम से एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.)/कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) को विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में किसान को टेक्नॉलजी बैकस्टॉपिंग और टेक्नॉलजी ट्रांसफ़र के लिए भी सहायता प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें जनजातीय और सूखाग्रस्त क्षेत्रों सहित अपने राज्यों में एन.एफ.एस.एन.एम.- पोषक अनाज योजना कार्यान्वित कर रही हैं। इस मिशन के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

तेलंगाना में वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान मिलेट (श्रीअन्न) के क्षेत्रफल और उत्पादन का ज़िला-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मिलेट आधारित उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक कार्यान्वयन के लिए मंज़ूरी दी है। मिलेट्स को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान में भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मिड-डे-मील के अंतर्गत मिलेट्स की खरीद बढ़ाने के लिए अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आई.सी.ए.आर. आदि से प्राप्त फ़ंडिंग से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- भारतीय श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान (आई.सी.ए.आर.-आई.आई.एम.आर.), हैदराबाद, तेलंगाना में मिलेट स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने हेतु एक फ़ैसिलिटी स्थापित की गई है। शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को मामूली शुल्क पर उत्पादन सुविधाओं तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सहायता देने के लिए मिलेट प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन हेतु "सामान्य सुविधा केंद्र" के रूप में एक अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। कम भू-जोत के स्तर पर मिलेट प्रोसेसिंग तकनीकों का प्रदर्शन करने हेतु आई.सी.ए.आर.-आई.आई.एम.आर., हैदराबाद में एक श्रीअन्न (मिलेट) प्रसंस्करण इकाई और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है।

अनुबंध

तेलंगाना में मिलेट (श्रीअन्न) के क्षेत्रफल और उत्पादन का ज़िला-वार विवरण

(क्षेत्रफल हज़ार हेक्टेयर में और उत्पादन हज़ार टन में)

ज़िला	क्षेत्रफल			उत्पादन		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
आदिलाबाद	15.20	16.90	30.14	24.72	23.49	50.46
भद्राद्रि कोठागुडेम	0.72	0.39	0.51	1.56	0.79	0.32
हनुमाकोंडा	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03
जगतियाल	1.38	0.29	0.28	1.89	0.87	0.98
जनगांव	0.23	0.06	0.23	0.44	0.09	0.37
जयशंकर भूपलपल्ली	0.00	0.14	0.00	0.01	0.25	0.00
जोगुलाम्बा गडवाल	2.09	1.35	6.57	2.17	1.31	15.94
कामारेड्डी	9.82	7.81	15.60	28.10	30.65	56.66
करीमनगर	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01
खम्मम	0.26	0.15	0.19	0.29	0.21	0.45
कुमुराम भीम आसिफ़ाबाद	4.79	5.52	4.45	3.92	4.90	3.32
महबूबाबाद	1.11	0.43	0.68	0.89	0.51	0.75
महबूबनगर	5.57	6.05	5.58	4.89	4.05	4.72
मंचेरियल	0.26	0.18	0.07	0.25	0.30	0.06
मेडक	2.67	2.52	3.84	6.23	5.00	11.91
मेडचल मल्काजगिरि	0.07	0.03	0.01	0.07	0.03	0.01
मुलुगु	0.06	0.02	0.00	0.10	0.05	0.00
नगरकुरनूल	1.19	1.69	2.46	0.98	1.51	2.90
नलगोंडा	0.24	0.38	1.13	0.33	0.72	2.96
नारायणपेट	3.37	2.38	3.13	3.44	2.37	3.39
निर्मल	3.29	2.63	6.49	5.14	5.32	11.13
निज़ामाबाद	3.64	2.63	0.38	4.43	8.37	0.89
पेद्दापल्ली	0.04	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00
राजन्ना सिरसिला	0.17	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
रंगारेड्डी	2.07	2.37	2.38	1.95	1.72	2.72
संगारेड्डी	10.27	12.50	24.38	22.29	27.40	74.67
सिद्दीपेट	0.21	0.03	0.11	0.34	0.04	0.32
सूर्यापेट	0.22	0.20	0.20	0.13	0.40	0.10
विकाराबाद	4.59	3.85	5.17	7.36	7.52	10.71
वानापर्थी	0.88	0.84	0.53	0.55	0.85	0.59
वारंगल	0.22	0.12	0.11	0.21	0.25	0.16
यदाद्रि भुवनगिरी	0.38	0.05	0.04	0.24	0.04	0.05

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

*****